से शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है ।

(i) चल रहे रोग–प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जल पूरण चिकित्सा और रोग निरोध कार्यक्रमों को चलाए रखना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(ii) परम्परागत दाइयों को प्रत्येक मामले के लिए दस रुपए का बढ़ा हुआ सूचना शुल्क प्रदान कर तथा गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स प्रदान करके समुदायिक स्तर पर मातृ परिचर्या में सुधार लाना;

(iii) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए तीव्र श्वसनी संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का चरणवार ढंग से विस्तार करना ।

जहां रोग–प्रतिरक्षण, रोग निरोधक, मुखीय पुनर्जल पूरण चिकित्सा तथा सामुदायिक स्तर पर अनिवार्य मातृ परिचर्या कार्य देश के सभी जिलों में लागू किए जाने हैं, वहीं तीव्र श्वसनीय संक्रमण कार्यक्रम का विस्तार 1992–93 में 51 जिलों से आरंभ करके चरणवार ढंग से किया जाएगा । इसमें गुजरात के 2 जिले जामनगर और बड़ौदा भी शामिल हैं ।

VII. सम्पर्क महिला योजना

गुजरात के सबसे अधिक पिछड़े दो जिलों, बनासकांठा और अमरेली में 1992–93 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से सम्पर्क महिला योजना लागू की गई थी । इन स्थानों में अशोधित जन्म दर 39 या इस से अधिक थी । इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के भरपूर सहयोग से परिवार कल्याण को समुदाय आधारित कार्यक्रम बनाना था । तदनुसार सम्पर्क महिलाएं 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच के पात्र दम्पत्तियों से संपर्क करती हैं । इन सम्पर्क महिलाओं को एएनएम द्वारा सहायता दी जाती है और सामग्री तथा उस माह का सन्देश दिया जाता है । ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सम्पर्क महिलाओं को गर्भ निरोधक, मुख सेव्य गोलियां, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाती है । 2985 सम्पर्क महिलाओं का चयन कर लिया गया है और 2625 को प्रशिक्षित कर दिया गया है ।

Expert task force on Disease surveillance activities

1424. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have set up an expert task force to deal with disease surveillance activities;

(b) if so, what are the primary objectives of the task force alongwith the targets fixed; and

(c) the number of such task forces operating under the Ministry alongwith the aims and objectives and achievements, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Expert Committee Report for Recognition of Electropathy/Electrohomoeopathy

1425. SHRI JAGANNATH SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Expert Committee constituted by Government for the recognition of Electropathy/Electrohomoeopathy submitted its report to Government on 27th August, 1991, if so, the main recommendations;

(b) whether Government extended the period of the Committee up to 15th October, 1991 even after the receipt of the report in August, 1991;

(c) if so, the reasons therefor;